ग्राम पंचायत चलेट, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चलेट, विकास खंड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत चलेट में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती प्रमिला देवी	01.04.2022 से लगातार

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सोनी पाल	01.04.2022 से लगातार

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	01.04.2022 से 31.05.2022

2.	श्री राकेश चौधरी (अतिरिक्त कार्यभार)	31.05.2022 से 09.07.2022
3.	श्री राकेश कुमार	09.07.2022 से लगातार

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री विकास भाटिया	01.04.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत चलेट, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1)	4 (घ)	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर	2.98
2)	6.1	अनुदानों का उपयोग न करना	43.85
3)	7.1	गृहकर की वसूली शेष	0.98

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**		
1.	पैरा-1	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
2.	पैरा-2	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)

3.	पैरा-3	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
4.	पैरा-4	अनिर्णीत	
5.	पैरा-5	अनिर्णीत	
6.	पैरा-6	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
7.	पैरा-7(1)	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति के साथ पुन: प्रारूपित
8.	पैरा-7(2)	अनिर्णीत	
9.	पैरा-7(3)	अंशत: निर्णीत।	₹6669/- की वसूली कर ली गई है तथा शेष राशि ₹4131/- की वसूली की जानी शेष है।
10.	पैरा-8	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
11.	पैरा- 9	अनिर्णीत	
12.	पैरा-10	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
13.	पैरा-11	अनिर्णीत	
14.	पैरा-12	अनिर्णीत	
15.	पैरा-13	अनिर्णीत	
16.	पैरा-13.1	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
17.	पैरा-14	अनिर्णीत	
18.	पैरा-15	अनिर्णीत	
19.	पैरा-16	अनिर्णीत	
20.	पैरा-17	अनिर्णीत	
21.	पैरा-18	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
22.	पैरा-19	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
23.	पैरा-20	निर्णीत।	नवीनतम स्थिति के साथ पुन: प्रारूपित
24.	पैरा-21	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
25.	पैरा-22	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)
26.	पैरा-23	निर्णीत।	(विशेष पैरा अभियान/समायोजन के दौरान निर्णित)

भाग-2

2 **वर्तमान अंकेक्षण :-**

ग्राम पंचायत चलेट, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/23 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05.06.2023 से 13.06.2023 तक ग्राम पंचायत चलेट के कार्यालय में किया गया | ग्राम पंचायत चलेट द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही), 14वां वित्तायोग, 15वां वित्तायोग (Online), स्वच्छ भारत मिशन व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	05/2022	06/2022

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत चलेट, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 111/2023 दिनांक 13/06/2023 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत चलेट द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित दौलतपुर चौक के ड्राफ्ट संख्या KAA 320933

दिनांक 15/06/2023 द्वारा ₹4000/- को निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 (क) **वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत चलेट द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/2023 दिनांक 05.06.2023 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/23 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है :-

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (3+4) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (5-6) (₹)
1	2022-23	4419719.7	7698257.74	12117977.44	7733324.14	4384653.3

(ख) **बैंक समाधान विवरणी :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत चलेट के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.2023 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर ₹298638.10/- था :-

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति अनुसार अंतशेष	4384653.30
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष (**परिशिष्ट "क-1"**)	**4683229.40**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	62.00
4)	**योग (2+3)**	**4683291.40**
5)	**अन्तर (1-4)**	298638.10

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1):-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Daultpur Chowk	20014009475	1553623.00
	KCCB Daultpur Chowk	50065490779	598921.00

	PNB Daultpur Chowk	3957000300034846	75033.10
	KCCB Daultpur Chowk(SBM)	50066273345	9060.00
	HDFC Bank Gagret (SBM)	50100303184979	44131.00
	HDFC Bank Gagret 14th FC	50100302968894	179723.30
	HDFC Bank Gagret 15th FC	50100329744764	2222738.00
		योग	**4683229.40**
		हस्तगत राशि (SBM)	62.00
		योग (1+2)	**4683291.40**

(ग) खाताबहियों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए थे | Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका । अतः भविष्य में (Ledger Accounts) का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹2.98 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹**298638.10 (स्व: स्त्रोत में ₹119420.10 + 14वां वित्तायोग में ₹164078 + 15वां वित्तायोग में ₹15140) का भारी अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 106/2023 दिनांक 06.06.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत चलेट ने अपने पत्र संख्या GP/Ch/23/66 दिनांक 12/06/23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि में से ₹111200/- के चैक स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) रोकड़ बही से **निम्न विवरणानुसार** जारी किए गए थे जिनका भुगतान दिनांक 31.03.2023 तक बैंक द्वारा नहीं किया

ANNUAL REPORT

गया था तथा शेष अंतर की राशि ₹187438/- (298638.10 – 111200) के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹)
1	159855	31.03.2023	41800
2	159856	31.03.2023	69400
		योग	**111200**

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/2023 दिनांक 05.06.23 की अनुपालना में सचिव, ग्राम पंचायत चलेट, द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Ch/23/64 दिनांक 12/06/23 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/23 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था |

अत: सचिव, ग्राम पंचायत चलेट को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹43.85 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव, ग्राम पंचायत चलेट द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/2023 दिनांक 05.06.2023 के प्रत्युतर में अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट क)** के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान राशि **₹**4384653.3 उपयोग हेतु शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है।

ANNUAL REPORT

अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/2023 दिनांक 05.06.2023 के क्रम संख्या 7 में मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत चलेट ने पत्र संख्या GP/Ch/23/64 दिनांक 12/06/2023 द्वारा सूचित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है जबकि यह अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रत्ति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उदेश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इसके लिए सचिव, ग्राम पंचायत चलेट को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/2023 दिनांक 05.06.2023 द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने बारे आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GP/Ch/23/64 दिनांक 12/06/23 द्वारा आग्रह किया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7 स्वयं स्त्रोत

7.1 गृहकर के रूप में ₹0.98 लाख की वसूली शेष :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/2023 दिनांक 05.06.2023 के क्रम संख्या 6 के सन्दर्भ में सचिव, ग्राम पंचायत चलेट द्वारा पत्र संख्या GP/Ch/23/64 दिनांक 12/06/23 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक पंचायत राजस्व गृहकर राशि ₹98050/- **(परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

ANNUAL REPORT

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	217200	54800	272000	173950	98050

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

8.1 स्व: स्त्रोत व अनुदान से ₹200/- का अधिक / अनियमित व्यय करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के चयनित माह 06/22 में स्व: स्त्रोत व अनुदान की समेकित रोकड़ बही के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रास्ते के निर्माण कार्य हेतू पानी के टैंक के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। न्यूनतम दर ₹550/- प्रति टैंक की दर से सुरिंदर सिंह सपुत्र श्री केसरी दास गाँव चलेट से प्राप्त हुई थी, परन्तु ₹550/- प्रति टैंक के स्थान पर ₹600/- प्रति टैंक अर्थात् ₹50/- प्रति टैंक की दर से उक्त व्यक्ति को चार नंबर पानी के टैंको के लिए ₹200/- (4×50) का अधिक भुगतान किया गया।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 107/2023 दिनांक 07.06.2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Ch/23/67 दिनांक 12/06/23 द्वारा अवगत करवाया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि ₹200/- की वसूली करके पंचायत लेखें में जमा करवा दी गई है जिसके इन्द्राज व जमा बारे पुष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 14 पर कर ली गई है।

8.2 15वें वित्तायोग से ₹300/- का अधिक / अनियमित व्यय करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के चयनित माह 06/22 में 15वें वित्तायोग की रोकड़ बही के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्य सामूहिक शौचालय नजदीक मन्दिर बडयाखा के लिए मस्टरोल संख्या 26125 द्वारा दिनांक 06.03.2022 से 21.03.2022 तक 16 दिनों के लिए कार्य करवाया गया, जिसमें रितिक सपुत्र श्री अशोक कुमार की उक्त कार्य हेतु 14 दिनों की उपस्थितियाँ दर्ज की गई थी परन्तु उक्त व्यक्ति को 14 दिनों की बजाए 15 दिनों के लिए ₹300/- प्रति दिन के हिसाब से 1 दिन के लिए ₹300/- का अधिक भुगतान किया गया था |

इस बारे वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108/2023 दिनांक 07.06.2023 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Ch/23/67 दिनांक 12/06/23 द्वारा अवगत करवाया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि ₹300/- की वसूली रसीद संख्या 103618 दिनांक 08.06.2023 द्वारा करके पंचायत लेखें में जमा करवा दी गई है जिसकी जमा बारें पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है |

9 मनरेगा शीर्ष से योग में त्रुटी के कारण ₹900/- का अधिक / अनियमित व्यय करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 के चयनित माह 06/22 में मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत किए गए व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 27 द्वारा सामग्री की ढुलाई के लिए ₹43200/- का भुगतान श्री सुरिंदर सिंह सपुत्र श्री केसरी दास गाँव चलेट को किया गया था जबकि उक्त व्यय ₹43200/- के स्थान पर **निम्न विवरणानुसार** ₹42300/- किया जाना वांछित था अर्थात् योग में त्रुटी के कारण (43200 - 42300)=₹900/- का अधिक भुगतान उक्त व्यक्ति को क्या गया था | इस बारे वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 109/2023 दिनांक 07.06.2023 द्वारा आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Ch/23/67 दिनांक 12/06/23 द्वारा अवगत करवाया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि ₹900/- की वसूली रसीद संख्या 103620 दिनांक 08.06.2023 द्वारा करके मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 दिनांक 08.06.2023 को जमा करवा दी गई है |

क्रम संख्या	वस्तु का नाम	मात्रा	दर (प्रति चक्कर / दिन)	भुगतान योग्य राशि (₹)
1	ढुलाई रेता	9 चक्कर	**1200**	**10800**
2	ढुलाई बजरा	16 चक्कर	**1200**	**19200**
3	मिक्चर	24 दिन	**400**	**9600**
4	ढुलाई सीमेंट	5 चक्कर	**300**	**1500**
5	ढुलाई मिक्चर	2 चक्कर	**300**	**600**
6	ढुलाई शटरिंग	2 चक्कर	**300**	**600**
	योग (अ)			**42300/-**
	भुगतान की गई राशि (ब)			**43200/-**
	अधिक भुगतान की गई राशि (ब-अ)			**900/-**

10.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105/2023 दिनांक 06.06.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चलेट से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत चलेट द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Ch/23/65 दिनांक 12/06/23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)

3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	मासिक समाधान विवरणी	--	15(1)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
10	मानदेय रजिस्टर	---	---

10.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना :-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखे जाना अनिवार्य है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख
1	आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)
2	जॉब कार्ड रजिस्टर (B-8)
3	रोजगार रजिस्टर (B-9)
4	सम्पदा रजिस्टर (B-10)
5	शिकायत रजिस्टर (B-11)

ग्राम पंचायत चलेट द्वारा उपरोक्त उल्लेखित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया व न ही उक्त अभिलेख तैयार किया गया था, जोकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के नियमों की अवहेलना है | अत: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10.3 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/2023 दिनांक 05.06.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत चलेट से वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्राक्कलन, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था, से सम्बन्धित सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Ch/23/64 दिनांक 12/06/23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में तैयार करके पंचायत का अनुमोदन लेकर ही पास किया गया है जोकि उपरोक्त वर्णित नियम की अवेहलना है | अत: सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में फार्म-11 पर नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

सचिव, ग्राम पंचायत चलेट द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100/2023 दिनांक 05.06.2023 की अनुपालना में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GP/Ch/23/64 दिनांक 12/06/23 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/23 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है|

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है|

31 JUL 2023

का०/प्रति

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

6553– 6556

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5) 23/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना जिला ऊना हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत चलेट, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

31 JUL 2023

का०/प्रति

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

पैरा संख्या '५' में सन्दर्भित -67- परिशिष्ट 'क'

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	4419719.7	7698257.74	12117977.44	7733324.14	4384653.3

सचिव
ग्राम पंचायत चलेट
विकास खण्ड गगरेट
तह0 प्रभारी जिला ऊना (हि0प्र0)

-15-

-14-

स्वयं स्त्रोत एवं अनुदान (समेकित) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	2126178.7	2118567	4244745.7	2136588.7	2108157

स्वच्छ भारत मिशन की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	51736	1517	53253	0	53253

14वां वित्तायोग की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	542853	44808	587661	572015.7	15645.3

15वां वित्तायोग की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	1698952	1968035	3666987	1459389	2207598

मनरेगा की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
2	2022-23	0	3565330.74	3565330.74	3565330.74	0

सचिव
ग्राम पंचायत चलेट
विकास खण्ड गगरेट
तह0 घनारी जिला ऊना (हि0प्र0)

C/S
Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	4384653.30
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	4683229.40
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि (स्वच्छ भारत मिशन)	62.00
4)	योग (2+3)	4683291.40
5)	अन्तर (4-1)	298638.10

सचिव
ग्राम पंचायत चलेट
विकास खण्ड गगरेट
तह0 घनारी जिला ऊना (हि0प्र0)

परिशिष्ट "क-1"

दिनांक 31.03.23 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि ₹
1	KCCB Daultpur Chowk	20014009475	1553623.00
	KCCB Daultpur Chowk	50065490779	598921.00
	PNB Daultpur Chowk	3957000300034846	75033.10
	KCCB Daultpur Chowk(SBM)	50066273345	9060.00
	HDFC Bank Gagret (SBM)	50100303184979	44131.00
	HDFC Bank Gagret 14th FC	50100302968894	179723.30
	HDFC Bank Gagret 15th FC	50100329744764	2222738.00
		योग	4683229.40
2		हस्तगत राशि (SBM)	62.00
		योग (1+2)	4683291.40

सचिव
ग्राम पंचायत चलेट
विकास खण्ड गगरेट
तह0 घनारी जिला ऊना (हि0प्र0)

पैरा संख्या '7.1' में सन्दर्भित परिशिष्ट 'ख'

कार्यालय ग्राम पंचायत चलेट

वि० ख० गगरेट जिला ऊना (हि०प्र०)

Subject: - House tax Detail as on 31/03/2023

वर्ष	गत शेष	वर्ष के दोरान गृह कर की मांग	कुल मांग	वर्ष के दोरान बसूल किया गया गृहकर	वर्ष के अंत में बकाया गृह कर
2022-23	217200.00	54800.00	272000.00	173950.00	98050.00

सचिव
ग्राम पंचायत चलेट
विकास खण्ड गगरेट
[illegible] ऊना (हि०प्र०)